12.48 hrs.

ARREST AND CONVICTION OF A MEMBER

Mr. Speaker: I have to inform the House that I have received the following telegram dated the 12th September, 1958, from the District Magistrate, Barabanki:—

"I beg to intimate that Shri Ram Sewak Yadav, Member, Lok Sabha, was arrested today before the Court of Sub-Divisional Magistrate, Fatehpur, at 3-30 P.M. under section 480, Criminal Procedure Code, for contempt of Court by interrupting the said Court while sitting in a stage of judicial proceedings. He was tried and convicted under section 228, Indian Penal Code. Letter follows."

12.48½ hrs.

ARREST OF A MEMBER

Mr. Speaker: I have to inform the House that I have received the following telegram dated the 14th September, 1958, from the District Magistrate, Kheri Lakhimpur:—

"Shri Khushwaqt Rai, Member, Lok Sabha, arrested in Lakhimpur, today, under sections 151/107/117, Criminal Procedure Code, for causing apprehension of breach of public peace, in connection with food agitation. Letter follows."

12.49 hrs.

MERCHANT SHIPPING BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now resume discussion on the motion for consideration of the Merchant Shipping Bill, 1958, as reported by the Joint Committee, moved on the 12th September, 1958, and also the amendment for recomitting the Bill to the Joint Committee moved by Shri Tridib Kumar Chaudhuri on that date. Out of 5 hours agreed to by the House for general discussion, 4 hours and 13 minutes now remain.

After the general discussion is over, clause by clause consideration and third reading of the Bill will be taken for which 3 hours have been fixed.

Shri Raghunath Singh may continue his speech.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि सन् १९४७ की शिपिंग पालिसी सफल नहीं हुई । इस को कारण यह है कि उस नीति के अनुसार हमें सन् १९५४ तक २० लाख का टनेज पूरा करना था, । लेकिन सन् १९५४ तक सिर्फ ४ लाख टन के ही हमारे पास जहाज हुये । इस तरह से १६ लाख टन का गैप रहा । इसलिये सन् १९४७ की नीति के आधार पर कोई नीति बनाना उचित नहीं होगा । शिपिंग कम्पनियों ने इस पीरियड में अपने इंटर्नल रिसोर्सेज में कोई प्रगति नहीं की । कोई फारेन कैपिटल यह कम्पनियां नहीं लाई । सिर्फ उस समय में जब कि युद्ध के पश्चात् थोड़ा वार रिजर्व फंड था, उस फंड से कुछ जहाज लाये गये, लेकिन उस के पश्चात् कोई प्रगति नहीं हुई । फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में इन कम्पनियों के देने के वास्ते २३ करोड़ ० का लोन रखा गया था । लेकिन इस २३ करोड़ ० में से केवल १६ करोड़ ० इन कम्पनियों ने लिया । इस का फल यह हुआ कि फर्स्ट फाइव इअर प्लैन का जो टार्गेट था उस टार्गेट को हम दूसरी फाइव इअर प्लैन में प्राप्त कर सके । सरकार ८५ प्रतिशत शिपिंग कम्पनियों को लोन देती है । ऐसी अवस्था में भी कम्पनियों ने लोन नहीं लिया । और हमारा टार्गेट पूरा नहीं किया । सेकेण्ड फाइव इअर प्लैन का टार्गेट ८ लाख टन का रक्खा गया है । इस टार्गेट के लिये ३७ करोड़ रु० रखा गया था । पाटिल साहिब कहते हैं कि जो ३७ करोड रुपया रखा गया था वह पहले वर्ष में ही समाप्त हो चुका